"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2020—माघ 11, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-24/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2019/3460 दिनांक 25-12-2019 अनुसार नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम निर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08-12-2019 को हो जाने के कारण पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन दिनांक 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

Scanned with CamScanner

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन हेतु दिनांक 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5 : राज्य शासन एतद्द्वारा, यह भी घोषित करता है कि, नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन हेतु दि. 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 10-6/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-06-2017 द्वारा लागू "असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना" को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा.

(ग) **योजनांतर्गत देय लाभ राशि :—** पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधोलिखित तालिकानुसार सहायता राशि देय होगी :—

स. क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1.	मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2.	स्थायी दिव्यांगता पर	50 हजार रुपये

(घ) **योजना की पात्रता :—**

1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.

2. असंगठित श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.

3. आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी.

Scanned with CamScanner

4. योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर नहीं.

5. मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है.

(च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे.

2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेन्टर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

3. योजनांतर्गत आवेदन मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा.

4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांग होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा.

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा.

(छ) **स्वीकृति का अधिकार :—**संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा श्रम कर्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के प्रस्ताव पर आवेदन स्वीकृत किया जावेगा.

(ज) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

6. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा सहायता राशि हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी के नामित व्यक्ति को प्रदान की जावेगी.

7. नामित व्यक्ति के नहीं होने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जावेगी.

8. वैध उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मान्य होगा.

9. हितग्राही के पंजीयन अभिलेख में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

10. आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से हितग्राही/नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी.

(झ) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव छ.ग., असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

(ट) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, अवर सचिव.

Scanned with CamScanner